

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**

प्रकरण संख्या- 70/2019

निर्णय दिनांक - 27.05.2019

1. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी गोपाल दास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।
2. मुकेश पिता बद्रीदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।
3. रतनी पुत्री बद्रीदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।
4. कृष्णा पुत्री बद्रीदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।
5. रामकन्या पत्नी बद्रीदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।

- प्रार्थीगण

// बनाम //

1. गोपालदास पिता मोहनदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।
2. राधेश्याम पिता मोहनदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।
3. छोगादास पिता भगवानदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।
4. लाभचन्द पिता भंवरलाल बारेठ, आयु वयस्क, निवासी उंखलिया।

- विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट**

**आदेश**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा उंखलिया की खाता संख्या 427 की आराजी नं. 1035, 1036, 1039, 1041, 1043, 1044 कुल किता 6 कुल रकबा 1.000 हेक्टैयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 400/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा उंखलिया की खाता संख्या 427 की आराजी नं. 1035, 1036, 1039, 1041, 1043, 1044 कुल किता 6 कुल रकबा 1.000 हेक्टैयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



५०१  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा (राज.)

